

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी प्रभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु मुख्य लेखाकार/अधीनस्थ लेखा सेवा के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु मुख्य लेखाकार/अधीनस्थ लेखा सेवा के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री अम्बादत्त बावरी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते ab.bawari@nic.in और sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक: 16.08.2019

(अम्बा दत्त बावरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061510

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, तारीख 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1988 को, जहां तक उनका संबंध मुख्य लेखाकार / अधीनस्थ लेखा सेवा (क्र.सं.1) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में मुख्य लेखाकार/अधीनस्थ लेखा सेवा पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांभ :** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), मुख्य लेखाकार/अधीनस्थ लेखा सेवा समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहंता - वह व्यक्ति -**

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है;; या विवाह की संविदा की है।

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य लेखाकार / अधीनस्थ लेखा सेवा	04* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसंचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6 - 35400 - 112400/-रुपये	अचयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8) लागू नहीं	(9) दो वर्ष	(10) 100% पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p>निम्नलिखित में से पदोन्नति द्वारा:</p> <p>क. वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 में अधीक्षक, प्रधान लिपिक, भण्डार अधीक्षक, जो पांच वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हैं और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं।</p> <p>अथवा</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल-4 में उच्च श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक सह कंप्यूटर/स्टोरकीपर, जो ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हैं और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं।</p> <p>ख. अन्यथा निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>नियमित आधार पर सदृश पदधारी या वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में उच्च श्रेणी लिपिक, जो केंद्र सरकार में ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हैं और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p>	<p>पदोन्नति हेतु समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - अध्यक्ष ii) उप-निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)/डीजीएचएस का दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित संस्थान - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य 	<p>लागू नहीं</p>

सं.एन.-1-22/2019-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.।)

(ए.डी. बावरी)

अवर सचिव